

५०८

छत्तीसगढ़ शासन  
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

—00—

क्रमांक / एफ 5-13/2020/10-2  
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक ०५/०९/२०२१

डी.आई.जी. (एफ.सी.)

भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय,  
इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज रोड  
नई दिल्ली -110003

विषय:- **Proposal for non-forestry use of 255.3 ha of forest land under Forest (Conservation) Act, 1980 in favour of Dy Director Achanakmar Tiger reserve for relocation of village in Mungeli Forest Division from the core area of Achanakmar Tiger Reserve (ATR) in Bilaspur District, Chhattisgarh.**

संदर्भ:- 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/ 8-93/2013-FC(pt.) दिनांक 23.07.2021।  
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का पत्र क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध-56/2718 दिनांक 31.07.2021।

—00—

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2/- संदर्भित पत्र क्रमांक-1 दिनांक 23.07.2021 के माध्यम से अचानकमार टायगर रिजर्व के तीन ग्रामों के व्यवस्थापन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 से अंतर्गत दो बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

3/- उक्त जानकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक-2 दिनांक 31.07.2021 के माध्यम से उपलब्ध करायी गई है जिसकी छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

०१८

८५३८  
५.९.२१

(के.पी. राजपूत)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

क्रमांक / एफ 5-13/2020/10-2

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक ०५/०९/२०२१

प्रतिलिपि:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19 नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

०१८

८५३८  
५.९.२१

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग



(477)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़

सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, अरण्य भवन, प्रथम तल (एफ.आर.) अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

[cwlwgc@gmail.com](mailto:cwlwgc@gmail.com)

( ०७७१-२५१२८८०, ०७७१-२५१२८५३ )

क्रमांक / व.प्रा. / प्रबंध-५६ / २७१८  
प्रति

सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर  
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
नवा रायपुर, दिनांक - ३१ / ०७ / २०२१

फंडी क्रमांक.....  
/ २०११०-२०२१ क्वर्ट  
दिनांक... २६.०८.२०१८

विषय :-

Reply to queries raised during meeting of Forest Advisory Committee, MoEFCC held on 25/06/21 regarding proposal for non-forestry use of 255.3 Hectare for relocation of 3 villages of Achanakmar TR in Mungeli Forest Division.

संदर्भ :-

मुख्य वन संरक्षक वन्यजीवन और क्षेत्रीय निदेशक अचानकमार टायगर रिजर्व, बिलासपुर का पत्र क्र. / 1792 दिनांक 24.07.2021

--0--

विषयांतर्गत लेख है कि दिनांक 25.06.2021 को भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा FAC की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें अचानकमार टायगर रिजर्व के तीन ग्रामों के व्यवस्थापन हेतु भेजे गये प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

बैठक में चर्चा के दौरान अचानकमार टायगर रिजर्व अंतर्गत विस्थापन के विषय पर निम्न बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी प्रेषित करने हेतु निर्देश दिये गये। जो निम्नानुसार है :-

- 1 A confirmation letter from the Government of Chhattisgarh that the restrictions related to ESZ within which the villages are to be relocated, have been discussed with the villages.
- 2 Comments of CWLW on the issues related to human-animal conflict in the area selected for proposed relocation.

मुख्य वन संरक्षक वन्यजीवन और क्षेत्रीय निदेशक अचानकमार टायगर रिजर्व, बिलासपुर से तत्संबंध में जानकारी प्राप्त कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही तथा भारत सरकार को जानकारी भेजने हेतु सहमति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न— उपरोक्तानुसार।

31/7/2021

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)

सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक

नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

नवा रायपुर, दिनांक ३१ / ०७ / २०२१

पु.क्रमांक / व.प्रा. / प्रबंध-५६ / २७१९

प्रतिलिपि :-

मुख्य वन संरक्षक वन्यजीवन और क्षेत्रीय निदेशक अचानकमार टायगर रिजर्व, बिलासपुर।

DS(A)  
03 AUG 2021

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)  
सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक  
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

50  
२५.८.२१

४८/१

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़  
से कटर-19, नार्थ ब्लाक, अरण्य भवन, प्रथम तल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

cwlwgc@gmail.com, apccfwildlife@gmail.com

(0771-2512880, 0771-2512881)

क्रमांक / व.प्रा. / प्रबंध-56/2947

प्रति  
सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर  
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

नवा रायपुर, दिनांक - 18.08.2021

फैला दिनांक 22/9/4  
/201/10-2/वन  
दिनांक 23/8/1.....2021

विषय-

Proposal for non-forestry use of 255.3 ha. of forest land under Forest (Conservation) Act, 1980 in favour of Dy. Director Achanakmar Tiger Reserve for relocation of village in Mungeli Forest Division from the core area of Achanakmar Tiger Reserve (ATR) in Bilaspur District, Chhattisgarh.

- संदर्भ - 1 छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/एफ 5-15/2020/10-2 दिनांक 12.08.2021
- 2 कार्यालयीन पत्र क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध-56/2718 दिनांक 31.07.2021
- 3 मुख्य वन संरक्षक वन्यजीवन और क्षेत्रीय निदेशक, अचानकमार टायगर रिजर्व, बिलासपुर का पत्र क्रमांक/1792 दिनांक 24.07.2021

-00-

विषयांतर्गत लेख है कि अचानकमार टायगर रिजर्व अंतर्गत विस्थापन के विषय पर दो बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी तैयार कर मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीवन और क्षेत्रीय निदेशक, अचानकमार टायगर रिजर्व, बिलासपुर के पत्र क्रमांक/1792 दिनांक 24.07.2021 से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसे कार्यालयीन पत्र क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध-56/2718 दिनांक 31.07.2021 से उपरोक्त विषय में सहमति प्रदान करने हेतु आपको लेख किया गया है।

अतः अचानकमार टायगर रिजर्व अंतर्गत विस्थापन के संबंध में प्राप्त जानकारी को भारत सरकार को भेजने हेतु अनुशंसा की जाती है। तत्संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) सह  
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक  
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़  
नवा रायपुर, दिनांक - 18.08.2021

पृ.क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध-56/2948

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

मुख्य वन संरक्षक वन्यजीवन और क्षेत्रीय निदेशक, अचानकमार टायगर रिजर्व, बिलासपुर।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) सह  
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक  
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

क्रमांक  
19-8-21

DSCA  
19 AUG 2021

VS  
19/8  
SO

(478)

Office of Chief Conservator of Forest (Wildlife) and  
Field Director, Achanakmar Tiger Reserve, Bilaspur (C.G.)

Email : fielddir\_atr@rediffmail.com, wildlifecf@gmail.com, Ph./Fax No. (O) - 07752-296104

No/Wildlife/..... 1792

Date 24/07/21, Bilaspur

To,  
Principal Chief Conservator of Forest (Wildlife) and  
Chief Wildlife Warden Chhattisgarh,  
Aranya Bhavan, Sector-19,  
Nava Raipur, Chhattisgarh

**Subject:** Reply to queries raised during meeting of Forest Advisory Committee, MoEFCC held on 25/06/21 regarding proposal for non-forestry use of 255.3 Hectare for relocation of 3 villages of Achanakmar TR in Mungeli Forest Division.

**Reference:** File No. 8-93/2013-FC of Forest Conservation Division, MoEFCC

Respected Sir,

The meeting of Forest Advisory Committee (FAC), MoEFCC regarding proposal for non-forestry use of 255.3 Hectare for relocation of villages in Mungeli Forest Division was held on 25/06/21. The FAC has sought information regarding following two matters:


- 1) A confirmation letter from the Government of Chhattisgarh that the restrictions related to ESZ within which the villages are to be relocated, have been discussed with the villagers
- 2) Comments of CWLW on the issues related to Human-Animal conflict in the area selected for proposed relocation

Reply to above two information sought is as follows.

**Information I:** A confirmation letter from the Government of Chhattisgarh that the restrictions related to ESZ within which the villages are to be relocated, have been discussed with the villagers.

**Answer:** The three villages that are proposed to be relocated are Tilaidabra, Birarpani and Chirhatta falling within core area of Achanakmar Tiger Reserve. The administration of Achankamar Tiger Reserve conducted a meeting with the villagers of Tilaidabra on 03/07/21 and that with the villagers of Birarpani and Chirhatta on 04/07/21. During this meeting the villagers were informed that the area that they are being relocated into falls within the Eco Sensitive Zone demarcated around the tiger reserve. They were informed of the provisions of the Eco Sensitive Zones and were read out and explained about the different activities that falls under following categories:

- 1) Activities that are Prohibited
- 2) Activities that are Regulated



अप्रमुवास. (वन्यज्ञानी)  
च.प., रायपुर  
Scanned with CamScanner

### 3). Activities that are Permitted

The villagers then agreed to adhere to the conditions applicable in the Eco Sensitive Zones and did not have any objection to be relocated into the existing proposed area. The copy of 'Panchnama' for all the three villages stating that the villagers have been explained the provisions of Eco-Sensitive Zone and that they have no objection in moving to the proposed area duly signed by them is attached as in Annexure 1. The matter regarding which has been read out and explained to the villagers is attached as Annexure 2

**Information 2:** Comments of CWLW on the issues related to human-animal conflict in the area selected for proposed relocation

**Answer:** There has been not a single case of Human Wildlife Conflict recorded in last five years in the proposed site of relocation.

A letter seeking information about the details of Human Wildlife Conflict was sought from DFO Mungeli under whose territorial jurisdiction the proposed site of relocation falls. The information received from DFO Mungeli is attached as Annexure 3.

The following three set of table gives the detail about the location of the selected areas for relocation and status of Human Wildlife Conflict in last five years.

Table A: The following location details of the three villages to be relocated is as follows

Name of Village to be Relocated from ATR	District to where the village is going to be relocated	Forest Division to where the village is going to be relocated	Compartment Number to where the village is going to be relocated	Name of Village to where the village is going to be relocated	Name of panchayat to where the village is going to be relocated	Name of villages located around the relocation site
Tilaidabra	Mungeli	Mungeli	RF 96	Sawantpur	Domanpur	Domanpur
						Bandha
						Jogipur
						Udaipur
						Ramhepur
Birarpani	Mungeli	Mungeli	RF 558	Bharatpur	Bharatpur	Gunapur
						Navadiah
Chirhatta	Mungeli	Mungeli	RF 557	Bharatpur	Bharatpur	Chechandih

480

Table B: Cases of Man Animal Conflict in the villages where people are being relocated

(From April 2016 to June 2021)

Name of Village to be Relocated	Compartment Number where the village is going to be relocated	Name of Village where the people will be relocated to	Cases of Human Death in or near the village due to HWC	Cases of Human Injury in or near the village due to HWC	Cases of Cattle loss in or near the village due to HWC	Cases of property loss in or near the village due to HWC	Cases of crop damage in or near the village due to HWC
Tilaidabria	RF 96	Sawantpur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
			Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
			Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
			Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Birarpani	RF 558	Bharatpur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Chirhatta	RF 557	Bharatpur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

Table C: Cases of Man Animal Conflict in the nearby surrounding villages

(From April 2016 to June 2021)

Name of Village to be Relocated	Compartment Number where the village is going to be relocated	Name of other villages which are close to the village where people are being relocated	Cases of Human Death in or near the village due to HWC	Cases of Human Injury in or near the village due to HWC	Cases of cattle loss in or near the village due to HWC	Cases of property loss in or near the village due to HWC	Cases of crop damage in or near the village due to HWC
Tilaidabria	RF 96	Domapur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Bandha	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Jogipur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Udaipur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Ramhepur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Birarpani	RF 558	Gunapur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Navadih	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Chirhatta	RF 557	Chechandih	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

481

From the above tables it is very clear that not only there is no case of Human Wildlife conflict in the area proposed for relocation but also there are no cases of conflict seen in and around the villages surrounding the proposed area.

✓  
Chief Conservator of Forest(WL) and  
Field Director Achanakmar Tiger Reserve

No/wildlife/1793

Copy to:

- 1) Deputy Director Achankmar Tiger Reserve

Date 24/07/21

✓  
Chief Conservator of Forests  
(WILDLIFE)  
& Field Director, ATR, Dhaspur (C.G.)

482

## Annexure 1

(483)

चयनामा

संचाल - विरहद्वारा

दिनांक - ०५/०७/२०२१

Annesure - 1

इस बीचे हरवाणारेत्र पंचगां जाना जाता है। इसी पंचवारों का ताता का नाम है तो है कि उक्त नाम ०५/०७/२०२१ को बतायिए तो बन्दिशी छाँस कर्मचारी दिवसला जाये। और हम ग्रामवासियों ने घरघाटन के संबंध में जाना कि विरहद्वारा जनभाको नियंत्रण करने परिस्थिती वे भ्रष्टपुर कीट का क. ५५७ एवं ५५८ में जाना जाता है, जो निःशुल्क जीवनस्थिति और सेवा में जाता है इस देश में ग्राम-जगत छाँस के जाके की अनुशति है। एवं ग्राम-जगत काम के लिए इतिहासियों द्वारा जनभाकी के उपरिकृति में ज्ञानकारी दिया गया।

हम पंचगां छाँस ग्रामवासियों का-

निष्ठा के अधिकारियों के द्वारा घरघाटन के संबंध में बताये गये विवरण जानकारी से सहमत है।

वह कंचनामा छम लीला के ममता दिखा-

ग्राम-पञ्चल सुनाया गया, जहाँ पापे जाने पर छलाल दिया गया।

पंचानी के नाम/विलिष्यत-

हस्ताहर

① संभृतिह/प्रशंसा

संभृति

② धैर्य/विरह-कौरा

धैर्य

③ कुर्मसिंह/चतुर वैगा

कुर्मसिंह

④ व्यरम-कौरा/रामधिंह-

व्यरम-रामधिंह

⑤ विद्युत्कूर/वरतू

विद्युत्कूर

⑥ पनकूर/शुश्राव

पनकूर

- (१) घनकूनाट / दीपसिंग - हान्त्रवाट
- (२) लुचार / रायरेंग कैंग - लुधवार
- (३) ममर खिंद / पल्ह बैंगा -
- (४) लक्ख / चतुर बैंगा - वल्ल
- (५) ममर-भिंड / चुरु रंगा - अंडुप्पी
- (६) पंचपाम / लुष्यपाम बैंगा - लोधी भिंड
- (७) देक्षकुमार / पक्कल - धन रिंद
- (८) धनसिंह / डोरत्साल - अजुन लस्तु
- (९) अर्जुन बैंगा / बिगु - सोनसिंह
- (१०) सोन खिंद / रायरेंह -
- (११) भगवती / सोन खिंद - सुखती
- (१२) संयु - लुट्टी बैंगा - संयु
- (१३) असडी / संयु बैंगा - छुसडी
- (१४) रामबाई / चतुर -
- (१५) लोनरेंह / रामरेंह - जोनरेंह
- (१६) झंगली / दोहु चुवर - नांगली
- (१७) झानकी / लल्ल बैंगा - जानकी
- (१८) झानमती / पंचपाम - झानमती
- (१९) जेडु / संयु बैंगा - जेडु

(26) कुवारी-बाई / कुरसिंह -

कुरसिंह

(27) जातकुमार / दृष्टिलाल -

दृष्टिलाल

(28) शिवमती / बुद्धार -

शिवमती

(29) रंगभाटी / मंगत बोगा -

रंगभाटी

(30) गोपा / दिवधी बोगा -

गोपा

(31) अर्णिया / देवकुमार -

अर्णिया

(32) सहवीत / अनित्याम -

सहवीत

(33) घार्हती / घर्जन बोगा -

घार्हती

(34) कूलबली / कलरसिंह

कूलबली

(35) शाहिति / चतुरा

शाहिति


पंचनामा मेरे झरण इच्छा- उमा- गया।

अंजनी  
परिक्षेत्र अधिकारी

पंचनामा मेरे समझ इच्छा- उमा- गया।

परिक्षेत्र सहायक

“द्विष्ठृत्यु”



वन परिक्षेत्र अधिकारी  
लम्बनी  
अचानकमार टाईगर रिजर्व

दिनांक - १७/१८/२०२१

समय - ५.५९

इन निम्ने इकानालित पत्रांगों अपना सही जहां पत्रांग का उल्लङ्घन  
करते हुए कठोर भारतिनंबु १७/१८/२०२१ को पत्रांग के अधिकारी  
द्वारा अमरकृष्ण देशरथी भवित्वे और इन गत १० सालों की व्यवस्था  
के संबंध में इनमें कुछ विवादार्थी गत का विस्तारत तथा  
पत्र प्राप्तिकर्ता लोकों के भरतपुर विनायक त्रिमूर्ति ५५७ हें  
५५९ के असला गत्रा है तो हो रही बैनसीरीब जोड़  
में भाग है इस जोड़ में एक गता जानकारी छिपे होने की  
अनुभाव है एवं गता का कामिया व्यतिविधित जोड़ है।  
इस संबंध के इन सभी पत्रांगों द्वारा गत काम विकासपूर्व  
के उपर्युक्ती के विस्तृत वाचकारी देखा गया।

इन पत्रांगों द्वारा गत पासियों पत्रांग के अधिकारीयों  
के ग्राह क्षमतापूर्वक के संबंध में बताये जाने विस्तृत  
विवरण हो सकते हैं।

यह पत्रांगों द्वारा लोगों के सभी तिराया गया प्रकार इनमें  
गप्ता रहि पात्रे जोने पद इस्तेलू देखा गया।

पत्रांगों के नाम / विवरण

इकानाल

सिपरिया

शोन/१८८

२०१८०८

लाल

लेखारु

३१८५१

दावीदार

- ① लुकालू / रवन विजा
- ② सिपरिया / छोलू विजा
- ③ गुलपटा / घोषर्व विजा
- ④ चेन्टटा / रसलू विजा
- ⑤ जीतम / उपराम विजा
- ⑥ लालु / गुलपटा विजा
- ⑦ छेसालू / लम्बो विजा
- ८ अकुन / दृष्टव्य विजा
- ९ अवीरा / रघु विजा

१० लेटिप / तुलसी



११ श्रीकृष्ण / लोटु




१२ इमामबादी / बिहारी

सामाजिकी

१३ बैसाहिप / वैसाख



१४ कल्लेखनमी / बिहारी



१५ रामबांडी / अर्जुन



१६ घोषधाति / सोनलिट

सिद्धार्थी


१७ बिहारी / गोदावाल

रेशम

१८ रेशम / बिजाम



१९ इलामधाति / बिपहड़



२० गोले / लुकाल




२१ रामकुमारी / गोले-




२२ मदुरी / लुकाल



२३ लुकाल / लुकाल



२४ उत्तराखण्डी / लुकाल



२५ लिपवाटी / लम्बला

चुन्दू शेहं

रामकुमारी

पंजाबी भैरवनाथ दर्शन सिद्धार्थ

JK

सिपहडा  
लियाल  
कलाश अमित रही  
लिलाली

रामनी  
पूर्ण सिपहडा  
पौरी भैरवनाथ  
सिपहडा

वन परिक्षेत्र अधिकारी  
लम्बी  
अयोद्धामार टाईगर रिजर्व

(488)

421-1121

2019-01-01 07:00-08:00  
Bhagirathi River - 100m upstream of the confluence with the Bhagirathi River.  
The river is narrow and rocky, with a small waterfall. The water is clear and cold.  
There are several small fish swimming in the water. A large rock is visible in the middle of the river.  
The surrounding area is covered in dense forest. The sky is clear and blue.  
The river flows rapidly, creating white water at the falls. The sound of the water is loud.  
There are some birds flying overhead. The overall atmosphere is peaceful and serene.

बन परिष्ठेत्र अधिकारी  
उपरवा  
उचानकम्पार लाईगर दिउ

अचानकमार लाईगर रिजर्व एवं उनके प्रभागों की स्थिति बताया गया है।  
संस्था ने इसके बारे में यह बताया है कि लाईगर क्षेत्र में अधिकारी द्वारा नियंत्रण किया जाता है और यहाँ की स्थिति अचानकमार के अधिकारी द्वारा नियंत्रण किया जाता है।

(489)

એ અને એ એ એ પરિય અને અન્ય અન્ય અન્ય અન્ય

એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ એ

① ચાંદ/અંગરી

શેરી

② બાણી/પાંચેતા

શેરી

③ ટ્રેક/લોડિંગ ટ્રેક

શેરી

④ ફોન્ડ/ચાંદી ફોન્ડ

શેરી

⑤ ફોન્ડ/ચાંદી ફોન્ડ

શેરી

⑥ ચાંદી ફોન્ડ/ચાંદી ફોન્ડ

શેરી

⑦ ચાંદી ફોન્ડ/ચાંદી ફોન્ડ

શેરી

⑧ ચાંદી ફોન્ડ/ચાંદી ફોન્ડ

શેરી

⑨ ચાંદી ફોન્ડ/ચાંદી ફોન્ડ

શેરી

10 ચાંદી ફોન્ડ/ચાંદી ફોન્ડ

શેરી

(490)

3

१४ रामलाल / श्रीदेवी बंगा

रामलाल

१५ गोपनीया लाल / दिव्यांशु एवं प्रति

गोपनीया

१६ श्रीकृष्ण-लाल / श्रीकृष्ण-बंगा

श्रीकृष्ण

१७ गोपनीया / श्रीकृष्ण-बंगा

गोपनीया

१८ रामलाल / श्रीकृष्ण

राम

१९ अ-लाल / श्रीकृष्ण-बंगा

अ-लाल

२० श्रीकृष्ण-लाल / श्रीकृष्ण-बंगा

श्रीकृष्ण-बंगा

२१ श्रीकृष्ण-लाल / श्रीकृष्ण-बंगा

श्रीकृष्ण-बंगा

२२ श्रीकृष्ण-लाल / श्रीकृष्ण-बंगा

श्रीकृष्ण-लाल

२३ श्रीकृष्ण-लाल / श्रीकृष्ण-बंगा

श्रीकृष्ण-लाल

२४ श्रीकृष्ण-लाल / श्रीकृष्ण-बंगा

श्रीकृष्ण-लाल

२५ देवरसेन / श्रीकृष्ण-बंगा

देवरसेन  
प्रभुकृष्ण

२६ श्रीकृष्ण-लाल / श्रीकृष्ण-बंगा

श्रीकृष्ण

(49)

G4

492

## Annexure 2

ईको सेंसेटिव जोन में प्रतिपिछ्व या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची :-

पर्यावरण यन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के अधिसूचना क्रमांक 3324 नं  
दिल्ली दिनांक 10 अक्टूबर 2019 के द्वारा ईको सेंसेटिव जोन अंतर्गत प्रतिपिछ्व या विनियमित  
किए जाने वाले क्रियाकलाप का विवरण निम्नानुसार है :-

#### सारणी

क्र.सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी	
(1)	(2)	(3)	
<b>क. प्रतिपिछ्व क्रियाकलाप</b>			
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयाँ।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहद खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाईयाँ वास्तविक रथनीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होगी। (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 ई.एन. गांडार्डर्सन थिर्लमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसार नें प्रचालन होगा।	
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी : जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में करवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में किए गए उद्योगों के घर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।	
3.	बृहत जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना	लागू विधियों के अनुसार प्रतिपिछ्व (अन्यथा उपर्युक्त के सिवाय) होगा।	

4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रस्तुकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों द्य भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निरसारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	इंट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।

## ख. विनियमित क्रियाकलाप

8.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक रक्खापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुसार होंगा।
9	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के



		<p>लिए, अपनी भूमि में भवन, उप विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी। परन्तु यह और कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।</p> <p>(ख) एक किलोमीटर से आगे ये आंवलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।</p>
10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग	<p>फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों तथा पारिस्थितिकी संबंधी जोन से देरी सामग्रियों से उत्पाद बनाने वाले अपरिसंकटनय लघु और सेवा उद्योगों, कृषि, पुष्प लृषि, यागदानी या कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति होगी।</p>
11.	वृक्षों की कटाई।	<p>(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी।</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपर्योगों के अनुसार विनियमित होगी।</p>
12.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रह।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
13.	विद्युत और संचार टॉवर का परिनिर्माण और तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केबल दिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
14	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी अवसंरचना।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों, विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिफारिशों के अनुसार किया जाना।
15	विद्यमान सड़कों को	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों नियमों, विनियमों और उपलब्ध

	चाँड़ा करना, उन्हे सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना।
16.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकोप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
17.	पहाड़ी ढालों और नदी के तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
18.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अंधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
19.	रथानीय समुदायों द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ दृग्धशाला, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	रथानीय जनता के उपयोग के लिए लागू विधियों के अनुसार अनुज्ञात होंगे।
20.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुकुट फार्मों की स्थापना।	रथानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों (अन्यथा उपर्युक्त के सिवाय) के अनुसार अनुज्ञात होगा।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या नू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल या अपशिष्ट जल या	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/वहिस्त्रीव के निरसारण से दबा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्वर्कण और पुनः उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित



	बहिस्त्रावि का निर्सारण।	अपशिष्ट जल या बहिस्त्रावि का निर्सारण विनियमित किया जाएगा।
22.	स्तरहो और भूगल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
23.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुआँ, बोर कुआँ, आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा और सन्दर्भ प्राधिकार द्वारा क्रियाकलाप की मानीटरी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
27.	पॉलिथीन बैग का उपयोग	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।
28.	वाणिज्यिक रांकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा।

## ग. सर्वधित क्रियाकलाप

29.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	कुटीर उद्योग जिसके अंतर्गत ग्रामीण कर्तागर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और इंधन का उपयोग।	दायोर्गेस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	दगान लगाना और आंखीय पांधों का रोपण	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।



(497)

36.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	अवधारणित भूमि/ठनों/पर्यावासों की दहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

  
 उप निदेशक  
 अचानकमार टायगर रिजर्व  
 लोरमी, जिला—मुंगेली (छ.ग.)  




498

## Annexure 3

# कार्यालय वनमंडलाधिकारी मुंगेली वनमंडल, मुंगेली(छ.ग.).

Email:-dfomungeli@gmail.com

क्रमांक / स्टेनो / ५७०

/ 2021 / मुंगेली / दिनांक / २६/७/२१

प्रति,

उप निदेशक  
अचानकमार टायगर रिजर्व  
लोरमी जिला मुंगेली छ.ग.

**विषय :-** Proposal for non-forestry use of 255.300 ha. Of forest land under Forest (Conservation) Act, 1980 in favour of Dy Director, Achanakmar Tiger Reserve (ATR) for relocation of villages in Mungeli Forest Division from the core area of ATR in Bilaspur District (Chhattisgarh) – reg.


**संदर्भ :-** आपका पत्र क्रमांक / व.प्रा. / स्टेनो / 2435 लोरमी दिनांक 15.07.2021

—00—

विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 25.06.2021 को आयोजित FCA की बैठक में मा. सदस्यों के द्वारा विस्थापन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के आसपास के ग्रामों भारतपुर, गुनापुर, नवाड़ीह, चेचानड़ीह, बांधा, सांवतपुर, जोगीपुर, डोमनपुर, उदयपुर एवं राम्हेपुर में वन्यप्राणी –मानव द्वंद की क्या स्थिति है? कितने जनघायल हुए और कितने ग्रामीणों की वन्यप्राणियों के हमले से मृत्यु के संबंध में जानकारी चाही गई है।

मुंगेली वनमंडल से 2016 से वन परिक्षेत्र लोरमी अंतर्गत कक्ष क्र. आर. एफ. 96, 558, 557 में वन्यप्राणी द्वारा जनहानि, जनघायल, फसलहानि, पशुहानि, मकानहानि के प्रकरण निम्नानुसार आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार



वनमण्डलाधिकारी  
मुंगेली वनमण्डल मुंगेली

500

## Year 2016-17

Village to be translocated	Compartment of Relocation	Villages Near the Compartment	Cases of Human Death in or near the village due to HWC	Cases of Human Injury in or near the village due to HWC	Cases of cattle loss in or near the village due to HWC	Cases of property loss in or near the village due to HWC	Cases of crop damage in or near the village due to HWC
Tilaidabra	RF 96	Domanpur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Bandha	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Sawatpur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Jogipur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Udaipur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Ramhepur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Birarpani	RF 558	Bharatpur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Gunapur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Nawadiah	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Chirhatta	RF 557	chechandih	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

## Year 2017-18

Village to be translocated	Compartment of Relocation	Villages Near the Compartment	Cases of Human Death in or near the village due to HWC	Cases of Human Injury in or near the village due to HWC	Cases of cattle loss in or near the village due to HWC	Cases of property loss in or near the village due to HWC	Cases of crop damage in or near the village due to HWC
Tilaidabra	RF 96	Domanpur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Bandha	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Sawatpur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Jogipur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Udaipur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Ramhepur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Birarpani	RF 558	Bharatpur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Gunapur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Nawadiah	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Chirhatta	RF 557	chechandih	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

(Sect)

Year 2018-19

Village to be translocated	Compartment of Relocation	Villages Near the Compartment	Cases of Human Death in or near the village due to HWC	Cases of Human Injury in or near the village due to HWC	Cases of cattle loss in or near the village due to HWC	Cases of property loss in or near the village due to HWC	Cases of crop damage in or near the village due to HWC
Tilaidabra	RF 96	Domanpur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Bandha	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Sawatpur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Jogipur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Udaipur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Ramhepur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Birarpani	RF 558	Bharatpur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Gunapur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Nawadih	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Chirhatta	RF 557	chechandih	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

Year 2019-20

Village to be translocated	Compartment of Relocation	Villages Near the Compartment	Cases of Human Death in or near the village due to HWC	Cases of Human Injury in or near the village due to HWC	Cases of cattle loss in or near the village due to HWC	Cases of property loss in or near the village due to HWC	Cases of crop damage in or near the village due to HWC
Tilaidabra	RF 96	Domanpur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Bandha	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Sawatpur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Jogipur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Udaipur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Ramhepur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Birarpani	RF 558	Bharatpur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Gunapur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Nawadih	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Chirhatta	RF 557	chechandih	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

(502)

Year 2020-21

Village to be translocated	Compartment of Relocation	Villages Near the Compartment	Cases of Human Death in or near the village due to HWC	Cases of Human Injury in or near the village due to HWC	Cases of cattle loss in or near the village due to HWC	Cases of property loss in or near the village due to HWC	Cases of crop damage in or near the village due to HWC
Tilaidabra	RF 96	Domanpur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Bandha	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Sawatpur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Jogipur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Udaipur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Ramhepur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Birarpani	RF 558	Bharatpur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Gunapur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Nawadiah	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Chirhatta	RF 557	chechandih	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

April 2021-June 2021

Village to be translocated	Compartment of Relocation	Villages Near the Compartment	Cases of Human Death in or near the village due to HWC	Cases of Human Injury in or near the village due to HWC	Cases of cattle loss in or near the village due to HWC	Cases of property loss in or near the village due to HWC	Cases of crop damage in or near the village due to HWC
Tilaidabra	RF 96	Domanpur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Bandha	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Sawatpur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Jogipur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Udaipur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Ramhepur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Birarpani	RF 558	Bharatpur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Gunapur	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
		Nawadiah	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Chirhatta	RF 557	chechandih	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

कल मर्यादिकारी  
प्राचीन एवं प्रतिक्रिया (S.P.)